2

राजस्थान सरकार प्रपत्र 8

न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) **कैम्प उदेई कलॉ**

–:आदेश:–

प्रार्थी के **"खाता दुरूस्ती"** प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उदेई कलॉ भू.अ.नि. गंगापुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे **ग्राम उदेई कलॉ ब** तहसील गंगापुर सिटी व जिला सवाई माधोपुर की जमाबन्दी सम्वत **2069–72** में खाता संख्या 231 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जानी है)
1	उदेई कलॉ ब	271	प्रहलादगिरी दयाराम गिरी पि. प्रभू जाति चमार	प्रहलादगिरी दयाराम गिरी पि. प्रभू जाति बैरवा **(खाते मे दर्ज अन्य प्रविष्ठियॉ यथावत रहेगी ।)**

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलेक्टर गंगापुर सिटी
दिनांक:– 14 जुलाई 2015

क्रमांक:– 1033-35

प्रतिलिपि:–

1.तहसीलदार गंगापुर सिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री प्रहलादगिरी दयाराम गिरी पि. प्रभू नि. उदेईकलॉ को सूचनार्थ।

3. रक्षित पत्रावली।

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलेक्टर गंगापुर सिटी

25
14/7/15

3

प्रकरण 310
14.7.15

राजस्व लोक अदालत अभियान 2015

सेवामें,

श्रीमान उप खण्ड अधिकारी महादय,
गंगापुर सिटी

विषय :- सम्मानजनक नाम/जाति इन्द्राज हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी प्रहलाद गिरी/दयाराम गिरी आत्मज श्री प्रभु जाति चमार ग्राम उदेई कलां का निवासी है। ग्राम उदेई कलां की जमाबन्दी में खाता सख्या 271 पर प्रार्थी का नाम/जाति चमार दर्ज है। जो मुझे/हमें सम्मानजनक नही लगता है। अतः मेरा/हमारा/नाम/मेरी/ हमारी/जाति चमार के स्थान पर बैरवा करने का कष्ट करें।

प्रार्थी प्रहलादगिरि

नाम प्रहलाद गिरी दयाराम गिरी
पिता का नाम प्रभु
जाति बैरवा निवासी उदेई कला

रिपोर्ट पटवारी दिनांक 14/7/15

प्रार्थी प्रहलाद गिरी/दयाराम गिरी पुत्र प्रभु के प्रार्थना पत्र पर मजमें आम में जानकारी ली गई, है।इस बाबत प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र व पहचान हेतु दस्तावेज पेश किये है। जिसके अनुसार प्रार्थी को बैरवा नाम/जाति से पुकारा जाता है। प्रार्थी का नाम/जाति चमार के स्थान पर बैरवा करने में किसी ने भी आपत्ति नही जतायी है। अतः प्राथी का नाम/जाति चमार के स्थान पर उसका नाम/जाति बैरवा करना उचित होगा।

पटवारी हल्का उदेई कला

भू अभिलेख निरीक्षक पृत ... 14/7/15

कार्यालय तहसीलदार (भू अभिलेख) गंगापुर सिटी

दिनांक :- 14.7.15

कमांक :- भू.अ./ रा लो अ/2015/

रिपोर्ट पटवारी एवं जांच भू अभिलेख निरीक्षक अनुसार प्रार्थी प्रहलादगिरी दयाराम गिरी निवासी उदेई कलां के आत्मज प्रभु जाति बैरवा के नाम दर्ज नाम/जाति चमार के स्थान खाते 271 ग्राम उदेई कलां पर बैरवा शुद्व करने की अनुशंषा की जाती है।

तहसीलदार (भू.अ)
गंगापुर सिटी
तहसीलदार (भू.अ.)
कैम्प गंगापुर सिटी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी

दिनांक :-

कमांक :- राजस्व/ रा लो अ/2015

स्वीकृति आदेश

तहसीलदार गंगापुर सिटी की अनुशंषा पर प्रार्थी श्री प्रहलाद गिरी, दयाराम गिरी पुत्र श्री प्रभु जाति बैरवा निवासी उदेई कलां का नाम/जाति. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत चमार के स्थान पर बैरवा शुद्व करने की स्वीकृति दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
कैम्प - उदेई कलां